भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 26

जिसका उत्तर सोमवार, 1 दिसम्बर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

व्यक्तिगत ऋण

26. श्री सनातन पांडेय:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार व्यक्तिगत ऋणों के अग्रिम-भारित परिशोधन को वित्तीय रूप से जिम्मेदार उधारकर्ताओं के लिए संरचनात्मक रूप से अनुचित मानती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी प्रथाओं से संबंधित नैतिक और आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का पारदर्शिता, न्यायसंगतता और वास्तविक ऋण अवधि का अनुपात सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान ऋण परिशोधन संरचनाओं की समीक्षा करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि उधारकर्ताओं को ऋण संरचनाओं के वित्तीय निहितार्थों के बारे में सरल भाषा में पर्याप्त जानकारी दी जाए;

(ड.) क्या सरकार का पूर्व निर्धारित अनुसूचियों के बदले बकाया मूलधन के आधार पर ब्याज गणना को मानकीकृत करने के लिए विनियम लागू करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (च): विनियमित संस्थाओं (आरई) के ऋण संबंधी मामले, जिनमें ब्याज वसूलने का तरीका भी शामिल है, बड़े पैमाने पर विनियमन मुक्त हैं और वे प्रासंगिक विनियामक और वैधानिक आवश्यकताओं तथा उधारकर्ता और आरई के बीच ऋण समझौते की शर्तों और नियमों के दायरे में तैयार किए गए ऋणदाताओं की बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण नीतियों द्वारा शासित होते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने समय-समय पर कई दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दरें निर्धारित करने और वसूल करने की प्रक्रिया दोनों पक्षों के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत हो। आरबीआई के दिशा-निर्देशों में यह भी अनिवार्य किया गया है कि ब्याज दर मासिक शेष आधार पर ली जानी चाहिए, जिसका अर्थ है

कि ब्याज की गणना बकाया मूलधन (किसी भी उपार्जित लेकिन अदा न किए गए ब्याज सहित) पर हर महीने की जानी चाहिए।

भारत में वाणिज्यिक बैंक आमतौर पर व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए मानक परिशोधन पद्धति का पालन करते हैं। उक्त पद्धति में, ब्याज की गणना और प्रभार प्रत्येक दिन की बकाया राशि पर ही लगाया जाता है। निर्धारित ईएमआई के अतिरिक्त उधारकर्ता द्वारा भुगतान की गई कोई भी अतिरिक्त राशि मूलधन में समायोजित कर दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप बकाया राशि में कमी आती है, तथा ब्याज भी कम देना पड़ता है। व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान की 'परिशोधित' प्रकृति लचीलापन प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि उधारकर्ता अपनी वित्तीय क्षमता और पुनर्भुगतान क्षमता के अनुसार पुनर्भुगतान योजना को अनुकूलित कर सकें।

इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी ऋणदाताओं के लिए उचित व्यवहार संहिता के अनुसार, ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऋण आवेदन का उचित मूल्यांकन हो और उन्हें ऋण समझौते की एक प्रति के साथ-साथ ऋण समझौते में उल्लिखित सभी अनुलग्नकों की एक प्रति सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा, आरबीआई की अधिसूचना के अनुसार, विनियमित संस्थाओं को सभी संभावित उधारकर्ताओं को एक मुख्य तथ्य विवरण (केएफएस) (दिनांक 1.10.2024 को या उसके बाद स्वीकृत सभी नए खुदरा और एमएसएमई सावधि ऋणों पर लागू) प्रदान करना होगा, जिसमें वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) की गणना शीट, ऋण अवधि पर ऋण का परिशोधन अनुसूची आदि जैसे प्रमुख तथ्य शामिल होंगे। केएफएस पारदर्शिता को बढ़ाता है और विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत वित्तीय उत्पादों पर सूचना विषमता को कम करता है, जिससे उधारकर्ताओं को सूचित वित्तीय निर्णय लेने में सशक्त बनाया जाता है। केएफएस को ऐसे उधारकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषा में लिखा जाना चाहिए तथा इसकी विषय-वस्तु उधारकर्ता को समझायी जानी चाहिए तथा यह पावती प्राप्त की जानी चाहिए कि उसने उसे समझ लिया है।

एनबीएफसी के लिए आरबीआई के व्यवसाय संचालन विनियम/निष्पक्ष व्यवहार संहिता के अनुसार, अग्रिमों पर ब्याज दरों के विनियम निष्पक्षता और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित हैं, ताकि एनबीएफसी के साथ कोई भी व्यवहार करने से पहले उधारकर्ताओं द्वारा एक सूचित निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में विनियामक दृष्टिकोण संबंधित ऋणदाता संस्थानों के बोर्डों को अधिक जिम्मेदार बनाने तथा उधारकर्ताओं के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में विकसित हुआ है।

*****